राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1512/2014/जयपुर

मैसर्स एग्रोटेक फूड्स लि.,
100, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, विशेष वृत–षष्ट्म, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित :

श्री आर.एस.जाजू,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत षष्ट्म, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा समय पर घोषणा प्रपत्र जमा नहीं करवाये जाने के कारण अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.03.2013 द्वारा कर व ब्याज का आरोपण किया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसाई द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार कर दिया। जिसे यहॉ विवादित किया है।

2. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कहा कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक **S.O. 257 Amendment of Rule 21 दिनांक 09.03.2015** की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा प्रपत्र जमा करवाये जाने की अंतिम तिथि 30.06.2015 तक बढाई गई थी, एवं अपीलार्थी व्यवहारी ने घोषणा प्रपत्र दिनांक 27.06.2013 को प्रस्तुत कर दिये थे, जो कि नियत अवधि में ही जमा करवाये गये थे जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया। आगे उन्होने अपने कथन में कहा कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जावे।

4. इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कहा कि अपीलार्थी व्यवहारी ने घोषणा प्रपत्र समय पर जमा नहीं करवाये। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

5. उभयपक्षों बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने घोषणा

लगातार.....2

प्रपत्र दिनांक 27.06.2013 को प्रस्तुत कर दिये थे। कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 08.03.2013 को जारी किया था। न्यायहित में प्राप्त घोषणा पत्रों को स्वीकार करना उचित है।

6. फलतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे निर्णय प्राप्ति के दो माह के भीतर कर निर्धारण आदेश प्राप्त घोषणा पत्रों को स्वीकार कर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष